

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 30/2021 निगरानी

उनवान

1. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी स्व० गोपाल बनाम बलाई निवासी फतेहगढ़ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
1. श्यामलाल पुत्र भैरू बलाई निवासी फतेहगढ़ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
2. ग्राम पंचायत रीठ पं.सं. कोटडी जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रीठ पं.सं. कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत रीठ पं.सं. कोटडी जिला भीलवाड़ा जरिये सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रीठ पं.सं. कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 निगरानी विरुद्ध पट्टा संख्या 26 पत्रावली संख्या 272 दिनांक 08/03/2019 के पट्टा दिनांकित 05/08/2019

उपस्थित –

1. श्री गजेन्द्र सिंह अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय


दिनांक 09.12.2021

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत रीठ पं.सं. कोटडी के सरपंच, सचिव द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 से मिलीभगती कर पूर्व में जायदाद का पट्टा जारी होते हुए भी निगराकार की जायदाद को मिलाते हुए गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष नपती 35 बाई 71 फीट जिसके पडौस पूर्व में सत्यनारायण बलाई, पश्चिम में मदन बलाई, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में छगन गाडरी का जारी कर दिया गया जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। भैरू लाल बलाई के 3 पुत्र गोपाल, श्याम लाल, गैर निगराकार संख्या 01 सत्यनारायण हुए, जिसमे गोपाल का देहान्त हो चुका है व निगराकार जो गोपाल बलाई की पत्नी है। निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 एक की पुश्तैनी जायदाद वाके आबादी हल्का फतहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी नपती 66 बाई 71 फीट है। उक्त जायदाद मे 1/3 हक हिस्सा निगराकार का व 1/3 हक हिस्सा गैर



आदि. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार संख्या 01 एक का व 1/3 हक हिस्सा श्याम लाल का निहित है, इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। निगराकार द्वारा अपने हक हिस्से की जायदाद का पट्टा बनाने हेतु गैर निगराकार संख्या 01 के यहां आवेदन किया गया, जो रसीद संख्या 12 दिनांक 08/07/2020 के 120/- रूपये की रसीद भी जारी की गयी। निगराकार उक्त जायदाद पर काबिज है व लाईट कनेक्शन भी अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० से ले रखा है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जो पट्टा हेतु आवेदन पेश किया गया, जिसमें गैर निगराकार संख्या 01 के हस्ताक्षर भी नहीं है व न ही सचिव के हस्ताक्षर है। गैर निगराकार संख्या 01 के हक हिस्से की जायदाद 71 बाई 35 फीट नहीं होते हुए भी गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा उक्त नपती हेतु आवेदन किया गया व निगराकार की हक हिस्से की जायदाद को मिलाते हुए पट्टा हेतु आवेदन किया गया, जिसमें बिना निगराकार को सुने व जानकारी किये मनमकसूद तरीके से मिलाभगती के आधार पर तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। मामले में जो मौका निरीक्षण प्रपत्र है, जिसमें तीन वार्ड पंच प्रियका शर्मा, योगिता शर्मा व नीला गाडरी को नियुक्त किया गया. लेकिन उनके कोई हस्ताक्षर भी नहीं है व साथ ही भाई बहिन का सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र भी खाली है। मामले में पड़ौसी की सहमति स्वरूप जो अनापत्ति प्रमाणपत्र है, जिसमें न तो दिनांक अंकित है व न ही पड़ौसी का नाम वल्दीयात, जाति व पता अंकित है व न ही निगराकार के पक्ष में अनापत्ति बाबत कोई निगराकार का नाम अंकित है व न ही उसे संरपच / वार्डपंच द्वारा प्रमाणित कर रखा है, केवल मात्र खाली प्रफोर्मा पर हस्ताक्षर कर रखे है। जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपस में मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। भाई बहिन की सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र में भी नाम पते खाली है व केवल श्याम हस्ताक्षर है, जिसका भी रिश्ता उल्लेखित नहीं है व निगराकार जो कि गैर निगराकार संख्या 01 के मृतक भाई की पत्नी है, जिसके सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये है, जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपस में मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। दिनांक 08/10/2004 को निगराकार के श्वसुर व गैर निगराकार संख्या 01 के पिता द्वारा एक समझौता पत्र भी निष्पादित किया गया, जिसमें भी निगराकार को



अति. जिला कलेक्टर
नोएडा


आवासीय मकान में हिस्सा दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त जायदाद पुश्तैनी है व निगराकार का हक हिस्सा निहित है। लेकिन गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 तीन ने आपस में मिलीभगती कर कानून को बाला ए ताक रखकर पंचायत राज नियमों का उल्लघन करते हुए मनमकसूद तरीके से एक ही दिन में बैठकर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसमें वार्डपंच के कही हस्ताक्षर नहीं है व सचिव के भी पट्टे के अलावा कही पर हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपस में मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैरनिगराकारान ने बिना मौका निरीक्षण किये व बिना पट्टे हेतु आपत्ति आमंत्रित किये केवल मात्र खाली प्रफोर्मा में नाम पते भरकर गैर निगराकारान ने आपस में मिलीभगती कर एक ही दिन में ग्राम पंचायत में बैठकर बिना स्वतंत्र मौतबीरान से जांच पड़ताल किये व जायदाद का निरीक्षण किये निगराकार के हक हिस्से की जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 में मनमर्जी से पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 से को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से बिना मौके की जानकारी किये व कोई विधिवत उद्घोषणा किये ही उक्त पट्टा जारी किया है, जो खारीज होने योग्य है एवं बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाये निगराकार की जायदाद को मिलाते हुए का पूर्व में पट्टा जारी होते हुए भी दूसरा पट्टा जारी, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना करनी चाहिए थी, जो नहीं कर उक्त पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध होने निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 ने नियम 147 –148 की पालना भी विधिवत नहीं की न ही कोई ग्राम पंचायत रीठ व ग्राम फतेहगढ़ के बस स्टेण्ड या सहजदृश्य स्थान पर लगवायी गयी व न ही दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करवाये गये, मात्र गैर निगराकार संख्या 01 ने गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 से मिलाभगती कर गैर संख्या 02 एवं 03 ने विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो काबिल निरस्ती के है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा निगराकार की जायदाद व हक हिस्से सहित गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा को निरस्त

अति. जिला कलेक्टर
मीरवाड़ा

कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दिनांक 26.05.2021 को दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार संख्या 01 बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नही होने पर एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों दोहराते हुये निवेदन किया कि भैरू लाल बलाई के 3 पुत्र गोपाल, श्याम लाल, गैर निगराकार संख्या 01 सत्यनारायण हुए, जिसमे गोपाल का देहान्त हो चुका है व निगराकार जो गोपाल बलाई की पत्नी है। निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 एक की पुश्तैनी जायदाद वाके आबादी हल्का फतहगढ़ ग्राम पंचायत रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिसकी नपती 66 बाई 71 फीट है। उक्त जायदाद मे 1/3 हक हिस्सा निगराकार का व 1/3 हक हिस्सा गैर निगराकार संख्या 01 एक का व 1/3 हक हिस्सा श्याम लाल का निहित है, इसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। निगराकार द्वारा अपने हक हिस्से की जायदाद का पट्टा बनाने हेतु गैर निगराकार संख्या 01 के यहां आवेदन किया गया, जो रसीद संख्या 12 दिनांक 08/07/2020 के 120/- रुपये की रसीद भी जारी की गयी। निगराकार उक्त जायदाद पर काबिज है व लाईट कनेक्शन भी अजमेर विद्युत वितरण निगम लि० से ले रखा है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा जो पट्टा हेतु आवेदन पेश किया गया, जिसमे गैर निगराकार संख्या 01 के हस्ताक्षर भी नहीं है व न ही सचिव के हस्ताक्षर है। गैर निगराकार संख्या 01 के हक हिस्से की जायदाद 71 बाई 35 फीट नहीं होते हुए भी गैर निगराकार संख्या 01 एक द्वारा उक्त नपती हेतु आवेदन किया गया व निगराकार की हक हिस्से की जायदाद को मिलाते हुए पट्टा हेतु आवेदन किया गया, जिसमें बिना निगराकार को सुने व जानकारी किये मनमकसूद तरीके से मिलाभगती के आधार पर तथाकथित पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। मामले में जो मौका निरीक्षण प्रपत्र है, जिसमे तीन वार्ड पंच प्रियका शर्मा, योगिता शर्मा व नीला गाडरी को नियुक्त किया गया. लेकिन उनके कोई हस्ताक्षर भी नहीं है व साथ ही भाई बहन का सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र भी खाली है। मामले में पड़ौसी की सहमति स्वरूप जो



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाति व पता अंकित है व न ही निगराकार के पक्ष में अनापत्ति बाबत कोई निगराकार का नाम अंकित है व न ही उसे संरपच / वार्डपंच द्वारा प्रमाणित कर रखा है, केवल मात्र खाली प्रफोर्मा पर हस्ताक्षर कर रखे है। जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपस में मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। भाई बहिन की सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र में भी नाम पते खाली है व केवल श्याम हस्ताक्षर है, जिसका भी रिश्ता उल्लेखित नहीं है व निगराकार जो कि गैर निगराकार संख्या 01 के मृतक भाई की पत्नी है, जिसके सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये है, जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपस में मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। दिनांक 08/10/2004 को निगराकार के श्वसुर व गैर निगराकार संख्या 01 के पिता द्वारा एक समझौता पत्र भी निष्पादित किया गया, जिसमें भी निगराकार को आवासीय मकान में हिस्सा दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त जायदाद पुश्तैनी है व निगराकार का हक हिस्सा निहित है। लेकिन गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 तीन ने आपस में मिलीभगती कर कानून को बाला ए ताक रखकर पंचायत राज नियमों का उल्लघन करते हुए मनमकसूद तरीके से एक ही दिन में बैठकर उक्त पट्टा जारी किया गया है, जिसमें वार्डपंच के कही हस्ताक्षर नहीं है व सचिव के भी पट्टे के अलावा कही पर हस्ताक्षर नहीं है। गैर निगराकार संख्या 01 लगायत 03 द्वारा आपस में मिलीभगती कर उक्त पट्टा जारी करवाया गया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। गैरनिगराकारान ने बिना मौका निरीक्षण किये व बिना पट्टे हेतु आपत्ति आमंत्रित किये केवल मात्र खाली प्रफोर्मा में नाम पते भरकर गैर निगराकारान ने आपस में मिलीभगती कर एक ही दिन में ग्राम पंचायत में बैठकर बिना स्वतंत्र मौतबीरान से जांच पड़ताल किये व जायदाद का निरीक्षण किये निगराकार के हक हिस्से की जायदाद का गैर निगराकार संख्या 01 में मनमर्जी से पट्टा जारी किया है, जो विधि विरुद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा निगराकार की जायदाद व हक हिस्से सहित गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया तथाकथित पट्टा को निरस्त कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।



ज.सि. जिला कलेक्टर
जालंधर


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण

किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मिसल प्रतिलिपि अनुसार पाया गया कि मिसल पत्रावली पर आवेदक का आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हैं। मौका निरीक्षण प्रपत्र पर तीनों वार्ड पंचों के हस्ताक्षर नहीं हैं। नक्शा आबादी भूमि पर न तो सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर हैं एवं न ही हस्ताक्षर नबीस के हस्ताक्षर हैं। भाई बहिन की सहमति एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र में भी नाम पते खाली है व केवल सत्यनारायण हस्ताक्षर है, जिसका भी रिश्ता उल्लेखित नहीं है। पड़ौसी की सहमति स्वरूप जो अनापत्ति प्रमाणपत्र है, जिसमें न तो दिनांक अंकित हैं व न ही पड़ौसी का नाम वल्दीयात, जाति व पता अंकित है व न ही निगराकार के पक्ष में अनापत्ति बाबत कोई निगराकार का नाम अंकित है व न ही उसे सरपंच/वार्डपंच द्वारा प्रमाणित कर रखा है, केवल मात्र खाली प्रफोर्मा पर हस्ताक्षर कर रखे है। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पत्रावली प्रतिलिपि से जाहिर आया कि ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा पुश्तैनी मकान का जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किये जाने से पूर्व जायन्दा वारिसान का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया। उक्तानुसार ग्राम पंचायत रीठ द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानों की स्पष्ट उल्लंघना की जाना प्रतीत होती हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा प्रारब्ध से ही संदेहास्पद होकर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रीठ को रिमाण्ड किया जाना युक्ति युक्त ठहरता है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रीठ द्वारा जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 05.08.2019 को अपास्त करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रीठ को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में हितबद्ध सभी पक्षकारों की पूर्ण सुनवायी कर, समस्त दस्तावेजात का परीक्षण कर पट्टा जारी किये जाने हेतु अजसिरे निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रीठ पंचायत समिति कोटडी को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
गोसावाड़ा